dk;Zikyu lkjka'k

dk;ikyu lkjk'k

i"BHkfe

मध्य प्रदेश सरकार के वित्त पर प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के आंकलन के उद्देश्य से लाया गया है जो कि वित्तीय आंकड़ों (डाटा) के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित है। विश्लेषण को परिदृश्य देने के उद्देश्य से, हमने राज्य सरकार की उपलब्धियों की तुलना राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के लक्ष्यों, राज्य बजट दस्तावेजों, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मानक और विभिन्न शासकीय विभागों और संस्थानों से प्राप्त अन्य वित्तीय आंकड़ों से करने का प्रयास किया है।

ifronu

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं पर विश्लेषणात्मक समीक्षा है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

igyk v/;k; वित्त लेखों की लेखा परीक्षा पर आधारित है और यह 31 मार्च 2015 को मध्य प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह बजटेत्तर मार्ग के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखे देने के अतिरिक्त राज्य के समग्र वित्त, वास्तविक व्यय की तुलना में बजट अनुमानों, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियां और राजसहायताओं, व्यय तथा उधार पद्धति की प्रवृत्ति पर अंतरदृष्टि डालता है। यह विकास, सामाजिक क्षेत्र और पूंजीगत व्यय पर राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता की पर्याप्तता के आंकलन को भी प्रस्तुत करता है।

nljk v/;k; विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं अनुदानवार विनियोगों का विवरण एवं सेवा प्रदायक विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, इस अध्याय में चयनित अनुदानों की समीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां भी दी गई हैं।

rhljk v/;k; विभिन्न सूचना आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों के साथ मध्य प्रदेश सरकार के अनुपालन की एक सूची है।

प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से संग्रहीत आंकड़ों का संकलन भी है।

y[kkijh{kk fu"d"k

v/;k;&1 jkT; ljdkj d foŸk

jktdks"kh; vlUrqyuk dk icU/ku ,o lalk/ku lxg.k

- राज्य ने वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 6,268 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाये रखा। इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 389 करोड़ की वृद्धि हुई। यद्यपि राज्य का राजकोषीय घाटा (₹ 11,352 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा बजट अनुमानों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष से ₹ 1,470 करोड़ की वृद्धि हुई। हालांकि सकल

राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटा 2013–14 में 2.27 प्रतिशत से घटकर वर्तमान वर्ष में 2.23 प्रतिशत हो गया, यह मुख्यतः 2014–15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि के कारण हुआ।

¼dfMdk,a 1-1-2] 1-11 ,oa jkT; dh :ijs[kk½

- वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य का कर राजस्व (₹ 36,567 करोड़) पुनरीक्षित बजट अनुमानों (₹ 29,912 करोड़ से) एवं मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों (₹ 30,104 करोड़ से) में निर्धारित लक्ष्य से कम रहा। राज्य द्वारा प्रक्षेपित 2014–15 के लिए पुनरीक्षित बजट अनुमान ₹ 66,479 करोड़ यथार्थवादी नहीं था।

¼dfMdk 1-3-1½

0;; ic/ku ,oa jkt dks"kh; izkFkfedrk

- 2014–15 में पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास, ऊर्जा एवं परिवहन के अंतर्गत थी।

¼dfMdk 1-6-2½

- 2014–15 के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय (₹ 82,373 करोड़) में 17.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 10.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत था। वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों से 51.49 प्रतिशत अधिक था लेकिन मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों से अंशतः कम था।

¼dfMdk 1-6-3½

- वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज अदायगी एवं राजसहायताएं सभी पर व्यय, राजस्व व्यय का 53 प्रतिशत व राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत था। ₹ 9,954 करोड़ की कुल राजसहायता भुगतानों में से, 49 प्रतिशत उर्जा विभाग से संबंधित थी।

¼dfMdk,a 1-6-4 ,oa 1-6-4-4½

- 2014–15 के दौरान मध्य प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में दी गई प्राथमिकता, जब सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से तुलना की गई, पर्याप्त नही थी।

¼dfMdk 1-7-1½

fuos'k ij izfrykHk

- 2014–15 के दौरान, सरकार द्वारा 2014–15 तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी समितियों इत्यादि में निवेश ₹ 16,104.55 करोड़ पर प्रतिलाभ (₹ 80.35 करोड़) केवल 0.50 प्रतिशत था जबकि वर्ष के दौरान औसत उधारी दर 6.88 प्रतिशत थी।

¼dfMdk 1-8-1½

- सत्ताईस सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमों, जिनके लेखे को 2014–15 तक अंतिम रुप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिए उनका कुल निवेश ₹ 13,523.24 करोड़ था घाटे में चल रही थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 29,268.72 करोड़ तक हो गया।

¼dafMdk 1-8-1½

vi.k ifj;ktuk,i

- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं जल संसाधन विभागों में 68 अपूर्ण परियोजनाओं पर 31 मार्च 2015 तक किया गया व्यय ₹ 14,344.25 करोड़ निष्फल रहा।

¼dafMdk 1-8-2½

jkdM 'k"k ,o n;rkvk dk ic/ku

- राज्य सरकार द्वारा 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में 2013–14 एवं 2014–15 के अंत में क्रमशः ₹ 4,477 करोड़ तथा ₹ 5,402 करोड़ का निवेश किया गया। रोकड़ शेष निवेश खाते में बड़ी राशि का कम ब्याज दर पर रखना जबकि उधार अधिक दर पर लेना वित्तीय विविक्षाएं (implications) लाता है। इन वित्तीय वर्षों के अंत में 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में उच्च स्तर पर निवेश दर्शाता है कि रोकड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

¼dafMdk 1-8-4½

- बकाया राजकोषीय देयताओं में 2010–11 के अंत में ₹ 75,504 करोड़ से 2014–15 के अंत में ₹ 1,08,688 करोड़ तक की लगातार वृद्धि हुई। वर्ष 2014–15 के अन्त में राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 21.40 प्रतिशत थी जो कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 35.30 प्रतिशत के अंदर रही। ऋण की मात्रा बढ़ जाने के परिणामस्वरुप ऋण को चुकाने की देयताओं में वृद्धि होती है।

¼dafMdk 1-9-2½

v/;k;&2 foÙkh; ic/ku rFkk ctV fu;=.k

ey ,o vuiijd vunkuk d vrxr c<r g, iko/kku

- 2014–15 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 1,48,505 करोड़ के विरुद्ध कुल ₹ 1,13,052 करोड़ व्यय हुए, परिणामस्वरुप ₹ 35,453 करोड़ की समग्र बचतें हुई। अतः ₹ 19,504 करोड़ (मूल प्रावधान का 15.12 प्रतिशत) के सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए। 37 मदों में (32 अनुदानों/विनियोगों) प्रत्येक मद में ₹ 100 करोड़ से अधिक की कुल ₹ 28,334 करोड़ की बचतें हुई थी।

¼dafMdk,a 2-2 ,o 2-3-1½

vkdfLedrk fuf/k dh ifrifr u gkuk ₹ 1-08 djkM

- राज्य सरकार ने राज्य की आकस्मिकता निधि से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को ₹ 1.08 करोड़ अग्रिम स्वीकृत किए। जिसे वर्ष के दौरान व्यय किया गया, जबकि राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति शेष रही।

¼dafMdk 2-2½

njh l@ugh lef{ir dh xbZ cpr

➢ वर्ष के दौरान कुल बचतों का केवल 49.64 प्रतिशत (₹ 17,597.59 करोड़) समर्पित किया गया था। 117 प्रकरणों में, ₹ 16,148 करोड़ की बचतें (प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक) वित्त वर्ष के अंतिम दिवस को समर्पित की गई थी, जिससे इन निधियों की अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु गुंजाइश नहीं बची।

¼dfMdk,¡ 2-2 ,oa 2-3-9½

vkf/kD; 0;; ftlds fu;eu dh vko';drk gS

➢ 2014–15 के दौरान ₹ 446.28 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ, जिसका संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विगत वर्षों से संबंधित ₹ 774.60 करोड़ अभी नियमित होना है।

¼dfMdk,¡ 2-3-5 ,oa 2-3-6½

dsUnzh; fuf/k;ksa dk flfoy tek esa j[kuk

➢ 31 मार्च 2015 को आहरित ₹ 115.45 करोड़ की केन्द्रीय निधि को व्यपगत होने से बचाने के लिए लोक लेखे में सिविल जमा में अंतरित किया गया था, जिससे राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत उस वर्ष के लिए व्यय बढ़ा हुआ था।

¼dfMdk 2-3-12½

v/;k;&3% foÙkh; izfrosnu

mi;ksfxrk izek.k&i=ksa dk izLrqrhdj.k

➢ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को दी गई राशि ₹ 27,005.73 करोड़ की अनुदान सहायता के संबंध में 31 मार्च 2015 को उपयोगिता प्रमाण–पत्र (34950) बकाया थे जो संबंधित विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमी को दर्शाता है।

¼dfMdk 3-1½

Lok;Ùk fudk;ksa }kjk ys[kksa dk izLrqrhdj.k

➢ पांच स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब (205 महीनों तक) हुआ परिणामस्वरुप स्वायत्त निकायों की कार्यपद्धति की संवीक्षा में देरी हुई।

¼dfMdk 3-2½

nq£ofu;ksx ,oa gkfu;ksa dh lwpuk

➢ 30 जून 2015 को विभिन्न विभागों में राशि ₹ 34.37 करोड़ के हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि के कुल 3134 प्रकरण लंबित थे। शासकीय राजस्व की गैर प्राप्ति, विभाग की ओर से कार्यवाही विलंब से किये जाने से रही।

¼dfMdk 3-3½

0;fäxr tek [kkrk dk l/kkj.k

➢ मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत जमा खाते, बिना वित्त विभाग के अनुमोदन के वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी जारी रहे थे। मार्च 2015 की समाप्ति तक व्यक्तिगत जमा खातों में कुल राशि ₹ 2704.45 करोड़ का अत्यधिक अंतिम शेष था।

¼dafMdk 3-11½